[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 04 जनवरी, 2021

अधिसूचना

सं. 01 /2021 –सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि.___ (अ)। बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28ज की उप-धारा (1), धारा 28टक की उप-धारा (1) और धारा 28ड की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) प्रक्रिया विनियम, 2005, जहाँ तक वे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से सम्बंधित मामलों से सम्बंध रखते हैं, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामश:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन विनियमों को सीमाशुल्क प्राधिकरण के लिए अग्रिम विनिर्णय विनियम, 2021 कहा जा सकता है।

(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं -** इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) “अधिनियम” सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) अभिप्रेत है;

(ख) “प्राधिकृत प्रतिनिधि” से, -

(i) आवेदक के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 146क की उपधारा (2) में यथा परिभाषित प्राधिकृत प्रतिनिधि अभिप्रेत है;

(ii) प्रधान आयुक्त या आयुक्त के संबंध में, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है –

(क) जो प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है; या

(ख) जिसे प्राधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में प्रधान आयुक्त या आयुक्त के लिए उपसंजात होने, अभिवाक करने और कार्य करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है या जिसे केन्द्रीय अप्रत्यक्ष-कर और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है;

(ग) "अर्जी" से अंतर्वर्ती, आनुषंगिक या प्रासंगिक प्रकृति की कोई अर्जी या लंबित और निपटाए गए आवेदन में फाइल किया गया अभ्यावेदन अभिप्रेत है;

(घ) आवेदन के संबंध में "प्रधान आयुक्त या आयुक्त" से अभिप्रेत है –

(i) आवेदन में विनिर्दिष्ट, सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या आयुक्त; या

(ii) आवेदन की बाबत बोर्ड द्वारा पदाभिहित सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या आयुक्त;

(ङ) "सचिव" से बोर्ड द्वारा सचिव के रूप में पदाभिहित कोई अधिकारी जो सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त से नीचे के पद न हो, अभिप्रेत है;

(च) "धारा" अधिनियम की धारा से अभिप्रेत है;

(छ) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ हैं जो उस अधिनियम में उनके हैं।

3. प्राधिकरण की भाषा। - (1) प्राधिकरण की भाषा हिन्दी या अंग्रेजी होगी।

(2) जहां कोई दस्तावेज हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में है वहां मूल दस्तावेज के साथ सम्यक रूप से अनुप्रमाणित उसका हिन्दी या अंग्रेजी अनुवाद फाईल किया जाएगा।

4. प्राधिकरण की शक्तियां। - (1) प्राधिकरण को सभी आवेदनों और अर्जियों की सुनवाई और उनको अवधारित करने की शक्ति होगी।

(2) यदि प्राधिकरण के किसी आदेश या अग्रिम विनिर्णय को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो प्राधिकरण या तो *स्वप्रेरणा* से या आवेदक अथवा प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा की गई अर्जी पर कठिनाई की सूचना होने के एक माह की अवधि के भीतर ऐसी कठिनाई को समुचित आदेश द्वारा दूर कर सकेगा, और मामले की परिस्थितियों में जैसा वह न्याय संगत और आवश्यक समझता है ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा।

(3) प्राधिकरण पर्याप्त कारण से अपने आदेश या अग्रिम विनिर्णय के सुनाने के पूर्व किसी मामले की नए सिरे से सुनवाई कर सकेगा।

(4) प्राधिकरण किसी समुचित मामले में निम्नलिखित के लिए निदेश दे सकेगा -

(i) किन्हीं अभिलेखों की परीक्षा और रिपोर्ट को प्रस्तुत करना;

(ii) किसी माल या सेवाओं की कोई तकनीकी, वैज्ञानिक या बाजार जांच करना और रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना और विशेषज्ञों से रिपोर्टो की मांग भी कर सकेगा और ऐसे और अन्वेषण के आदेश कर सकेगा जो आवेदन के प्रभावी निपटान के लिए आवश्यक हो।

(5) प्राधिकरण को निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(i) प्रकटीकरण और निरीक्षण;

(ii) किसी व्यक्ति की उपस्थिति प्रवर्तित करना और उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(iii) कमीशन निकालना; और

(iv) लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों को पेश करने के लिए विवश करना।

5. सचिव की शक्तियां और कृत्य। - (1) सचिव प्राधिकरण के कार्यालय का संपूर्ण प्रभारी होगा और प्राधिकरण के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

(2) सचिव –

(क) की अभिरक्षा में प्राधिकरण के अभिलेख और प्राधिकारिक मुद्रा होगी;

(ख) प्राधिकरण के समक्ष फाइल किए गए सभी आवेदन और अर्जियां प्राप्त करेगा;

(ग) आवेदन और अर्जियों की संवीक्षा करेगा और आवेदन या अर्जी में लोप और त्रुटियां बताएगा और सचिव द्वारा दिए गए समय के भीतर लोपों को ठीक करने या त्रुटियों को दूर करने के लिए आवेदक या अर्जीदार से अपेक्षा करेगा और अननुपालन की दशा में समंचित आदेशों के लिए प्राधिकरण के समक्ष ऐसे आवेदन या अर्जी को रखेगा;

(घ) मामला यदि कोई हो तो अभिलेखों को पारेषित करने के लिए सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या आयुक्त को उसके संलग्नकों के साथ आवेदन की प्रति और आवेदन पर उसकी टीका-टिप्पणियों को प्रस्थापित करने के लिए अग्रेषित करेगा;

(ड.) धारा 28झ की उपधारा (2) के अधीन समुचित आदेशों के लिए प्राधिकरण के समक्ष सभी आवेदनों को रखेगा;

(च) ऐसी सूचनाओं और अन्य आदेशिकाओं को जारी करेगा जो प्राधिकरण द्वारा आदेशित की जाएं;

(छ) आवेदन या अर्जी के पक्षकारों की सूचना और अन्य आदेशिकाओं की तामिल सत्यापित करेगा और त्रुटिपूर्ण तामील की दशा में प्राधिकरण के आवश्यक आदेश अभिप्राप्त करेगा;

(ज) प्राधिकरण के आदेशों पर किसी की अभिरक्षा से अभिलेखों की मांग करेगा;

(झ) उस व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वे मांगे गए थे, को मूल अभिलेखों को वापस करेगा;

(ञ) प्राधिकरण के अभिलेखों का निरीक्षण अनुज्ञात करेगा;

(ट) उसके अनुदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण के अभिलेखों का कोई संशोधन कार्यान्वित करेगा;

(ठ) आदेशों या अग्रिम विनिर्णयों और प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में फाइल किए गए दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियां, आवेदन या अर्जी के पक्षकारों को प्रदत्त करेगा;

(ड) आवेदन के निपटान की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक आवेदन या अर्जी और अन्य सामग्रियों के अभिलेख को सुरक्षित रखेगा और प्राधिकरण द्वारा जब तक कि अन्यथा निदेशित न किया जाए उसके पश्चात् उसे उसकी छटनी या नष्ट करने के लिए सुरक्षित रखेगा; और

(ढ) ऐसे किसी अन्य कृत्य का पालन करेगा जो विशेष या साधारण आदेश द्वारा प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किया जाए।

6. अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष आवेदन का प्रपत्र और ढंग। - (1) अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र नीचे तालिका के कॉलम (3) में निर्धारित क्षेत्राधिकार के अनुसार क्षेत्राधिकारी प्राधिकरण के समक्ष सीएएआर-1 में किया जाएगा:-

क्रम संख्या	अग्रिम विनिर्णय के लिए सीमाशुल्क प्राधिकरण।	अग्रिम विनिर्णय (राज्य-वार एवं संघ-राज्य-वार) के लिए आवेदनों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार

(1)	(2)	(3)
1.	अग्रिम विनिर्णय के लिए सीमाशुल्क प्राधिकरण, दिल्ली।	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, सिक्किम, ओडिशा, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और लद्दाख ।
2.	अग्रिम विनिर्णय के लिए सीमाशुल्क प्राधिकरण, मुम्बई।	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु, गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, महाराष्ट्र, गोवा, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़।

(2) आवेदन करते समय आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाए गए पते के अनुसार क्षेत्राधिकार निर्धारित किया जाएगा, तथा भारत के भीतर क्षेत्र के अलावा पता देने वाले आवेदक के लिए प्राधिकरण दिल्ली में स्थित प्राधिकरण होगा।

(3) बोर्ड एक आदेश जारी करेगा जिसमें सम्बद्ध प्राधिकरण से सम्बंधित पता, फोन संख्या और अन्य ब्यौरे दिए गए होंगे।

(4) आवेदन सम्बद्ध प्राधिकरण को उस तिथि को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा जिस तिथि को यह उक्त प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त होता है।

(5) उप-नियम (1) में संदर्भित आवेदन, उसमें शामिल सत्यापन और ऐसे आवेदन के साथ संलग्न सभी संगत दस्तावेजों पर इन के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे,-

(क) किसी व्यक्ति के मामले में, स्वयं उस व्यक्ति द्वारा, अथवा जहाँ वह व्यक्ति भारत में उपस्थित न हो तो सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा अथवा इस कार्य के लिए उसके द्वारा यथा प्राधिकृत किसी अन्य व्यष्टि द्वारा; और जहाँ सम्बद्ध व्यक्ति अवयस्क है या ऐसे कार्य में उपस्थित रहने के लिए मानसिक तौर पर असमर्थ है, तो उसके अभिभावक द्वारा अथवा किसी अन्य व्यष्टि द्वारा जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम हो;

(ख) अविभक्त हिंदू परिवार के मामले में, उस परिवार के कर्ता द्वारा और, जहाँ कर्ता भारत में उपस्थित नहीं है या ऐसे कार्य में उपस्थित रहने के लिए मानसिक तौर पर असमर्थ है, तो उस परिवार के किसी अन्य सदस्य के द्वारा;

(ग) किसी कम्पनी या स्थानीय प्राधिकरण के मामले में, यथास्थिति, कम्पनी अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए उनके प्राधिकृत प्रधान अधिकारी द्वारा;

(घ) किसी फर्म के मामले में, इसके किसी भी भागीदार द्वारा, जो अवयस्क न हो;

(ड़) किसी संस्था के मामले में, संस्था के किसी सदस्य अथवा उसके प्रधान अधिकारी द्वारा; और

(च) किसी व्यक्ति के मामले में, उस व्यक्ति अथवा उसके ओर से कार्य करने के सक्षम किसी व्यष्टि द्वारा।

(6) प्रत्येक आवेदन चार प्रतियों में दाखिल किया जाएगा और इसके साथ "अग्रिम विनिर्णय सम्बंधी सीमाशुल्क का प्राधिकारी, दिल्ली" (Customs Authority for Advance Ruling, Delhi) या "अग्रिम विनिर्णय सम्बंधी सीमाशुल्क का प्राधिकारी, मुम्बई" (Customs Authority for Advance Ruling, Mumbai), जैसा भी मामला हो, के पक्ष में दस हज़ार रुपए का शुल्क एक मांग देय ड्राफ्ट के रूप में संलग्न किया जाएगा।

7. आवेदन फाइल करने की प्रक्रिया। - (1) आवेदन प्राधिकरण के सम्बंधित कार्यालय में कार्य दिवस को 10:00 बजे पूर्वाह्न और 1:00 बजे अपराह्न के बीच और 2:00 बजे अपराह्न और 5:00 बजे अपराह्न के बीच प्राप्त किए जाएंगे।

(2) प्रत्येक आवेदन, इसका सत्यापन, इसके साथ लगे उपाबंध, विवरण तथा समर्थकारी दस्तावेज उस रीति में हस्ताक्षरित किए जाएंगे, जो विनियमों में उपवर्णित है।

(3) आवेदन के साथ यह साक्ष्य लगा होगा कि वह व्यक्ति जिसने आवेदन, सत्यापन और अन्य दस्तावेजों को हस्ताक्षरित किया है इन विनियमों के अधीन हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत या सक्षम है।

(4) प्रत्येक आवेदन, इसका सत्यापन और इसके साथ लगे उपाबंध, विवरण तथा दस्तावेज ए-4 आकार के कागज पर होंगे और पांच सेंटीमीटर के बायें हाशिया को छोड़ते हुए और दोहरी रेखा स्थान में पृष्ठ के केवल एक तरफ स्वच्छ और पठनीय रूप में लिखा, टाईप या मुद्रित होना चाहिए।

(5) यदि आवेदक का भारत में आधार नहीं है तो वह *अन्य बातों के साथ-साथ* आवेदन के पृथक उपाबंध में निम्नलिखित उपदर्शित करेगा –

(क) विदेश में उसका डाक और ई-मेल पता;

(ख) उसकी ओर से कार्य करने और प्राधिकरण द्वारा भेजी गई सूचनाएं या अन्य दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत भारत में उसका प्रतिनिधि यदि कोई हो, का नाम और पता जिसके अन्तर्गत ई-मेल पता भी है।

8. आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया - (1) आवेदन प्राप्त करने वाला अधिकारी उसकी प्राप्ति की तारीख और समय के साथ उस पर अपने अद्याक्षर करेगा और प्राधिकरण की स्टॉम्प लगाएगा और उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति भी करेगा और वह उस प्रयोजन के लिए रखे गए दैनिक फाइल करने के रजिस्टर में आवेदन की विशिष्टियों की भी प्रविष्टि करेगा।

(2) आवेदन की किसी कमी या त्रुटि के लिए उस प्रयोजन के लिए सचिव द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी और आवेदन और उसके उपाबंधों में किसी कमी या त्रुटि का पता लगने पर शीघ्रता से आवेदक को संसूचित किया जाएगा।

(3) आवेदन से सचिव द्वारा दिए गए समय के भीतर कमी या त्रुटि ठीक करने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसा आवेदन उस तारीख को प्राप्त किया गया समझा जाएगा जब वह, धारा 28झ की उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए ऐसी कमी या त्रुटि के दूर किए जाने के पश्चात् पुन: किया जाता है।

(4) प्राधिकरण के सचिवालय में किसी त्रुटि या कमी रहित आवेदन की प्राप्ति की तारीख धारा 28ज की उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए आवेदन की तारीख समझी जाएगी।

(5) जब कोई आवेदन किसी त्रुटि या कमी से मुक्त है "परीक्षित और रजिस्ट्रीकृत" पृष्ठांकन उस पर किया जाएगा और उसको क्रम संख्यांक आवंटित किया जाएगा।

(6) यदि उप नियम (3) के अधीन दिए गए समय के भीतर त्रुटि या कमी दूर या ठीक नहीं की जाती है तो आवेदन समुचित आदेशों के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा।

(7) उप नियम (5) के अधीन किसी आवेदन के क्रम संख्यांक के आवंटन पर आवेदन की एक प्रति सुसंगत अभिलेखों सहित टीका-टिप्पणियों, यदि कोई हो, भेजने के लिए संबद्ध सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या आयुक्त को अग्रेषित की जाएगी।

(8) उप विनियम (7) के अधीन संबद्ध प्रधान आयुक्त या आयुक्त से सुसंगत अभिलेखों या टीका-टिप्पणियों की प्राप्ति पर या दो सप्ताह या ऐसी और अवधि जो प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात की जाए की समाप्ति के पश्चात् आवेदन, धारा 28झ की उपधारा (2) के अनुसार आदेश पारित करने के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा।

(9) यदि जहां प्राधिकरण समझता है कि आवेदन प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने के लिए दायी है, आवेदक को एक सूचना जारी की जाएगी जिसके साथ उसके कारण के साथ संबंद्ध प्रधान आयुक्त या आयुक्त की टीका-टिप्पणी, यदि कोई हो, उपदर्शित किए जाएंगे जिसमें आवेदन को स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने का अवसर दिया जाएगा और सूचना की एक प्रति संबंद्ध प्रधान आयुक्त या आयुक्त को पृष्ठांकित की जाएगी।

(10) सुनवाई के लिए नियत तारीख या ऐसी अन्य तारीख को, जिसको मामला स्थगित किया जाता है प्राधिकरण, धारा 28झ की उपधारा (2) के अधीन आवेदन को या तो अनुज्ञात करते हुए या खारिज करते हुए कोई आदेश पारित कर सकेगा और प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की एक प्रति आवेदन और संबद्ध प्रधान आयुक्त या आयुक्त को भेजी जाएगी।

(11) जहां आवेदन अनुज्ञात किया जाता है वहां कानूनी उपबंधों की ओर उसका ध्यान आकर्षित करते हुए कि अग्रिम विनिर्णय के सुनाने के पूर्व यदि वह ऐसा चाहता है तो उसका सुने जाने का अधिकार है, आवेदक को भेजे गए आदेश की प्रति के साथ संबद्ध प्रधान आयुक्त या आयुक्त की टीका-टिप्पणियां और अतिरिक्त सामाग्री, यदि कोई हो, लगी होगी और आवेदक का जवाब आदेश की प्रति की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर प्राधिकरण के पास पहुंच जाना चाहिए।

(12) आवेदन की सुनवाई सामान्यत: कार्य दिवस को 11:00 बजे पूर्वाह्न और 5:00 बजे अपराह्न के बीच प्राधिकरण के कार्यालय या प्राधिकरण द्वारा नियत आनुकल्पिक स्थान में आयोजित की जाएगी।

(13) आवेदक से व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध की अनुपस्थिति में अग्रिम विनिर्णय संबद्ध प्रधान आयुक्त या आयुक्त या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि यदि सुनवाई की तारीख को उपस्थित हो, की सुनवाई के पश्चात् और प्राधिकरण के पास उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सुना दिया जाएगा।

(14) जहां प्राधिकरण अग्रिम विनिर्णय या ऐसा अन्य आदेश, जो प्राधिकरण ठीक समझे पर विचार करने के लिए आवेदन को आरक्षित रखता है तो आवेदक और संबद्ध प्रधान आयुक्त या आयुक्त की सूचना के अधीन रहते हुए खुले न्यायालय में सुना दिया जाएगा और अग्रिम विनिर्णय या आदेश की प्रति आवेदन के पक्षकारों पर आरक्षित होगी।

9. अग्रिम विनिर्णय के खिलाफ अपील - प्रधान आयुक्त या आयुक्त को धारा 28टक की उप-धारा (1) के अनुसार अग्रिम विनिर्णय के खिलाफ अपील दायर करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

10. अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील करने का प्रपत्र एवं ढंग – (1) आवेदक द्वारा धारा 28-झ की उप-धारा (6) के तहत अग्रिम विनिर्णय के खिलाफ अपील प्रपत्र सीएएआर-2 में की जाएगा और इसके साथ पंद्रह हज़ार रुपए का शुल्क संलग्न किया जाएगा।

(2) प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 28-झ की उप-धारा (6) के तहत अग्रिम विनिर्णय के खिलाफ प्रपत्र सीएएआर-3 में अपील की जाएगी और अपील दायर करने के लिए उक्त अधिकारी द्वारा कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(3) कोई भी अपील अपीलीय प्राधिकरण में उस तिथि को प्रस्तुत की गई मानी जाएगी जिस तिथि को यह अपीलीय प्राधिकरण में प्राप्त की जाती है।

11. सूचनाओं, आदि को हस्ताक्षरित किया जाना – (1) प्राधिकरण की ओर से जारी की जाने वाली प्रत्येक अध्यपेक्षा, निदेश, पत्र, प्राधिकार या सूचना सचिव द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी।

(2) उप विनियम (1) की कोई बात ऐसे किसी निदेश पर लागू नहीं होगी, जिसे प्राधिकरण सुनवाई के अनुक्रम में उपस्थित किसी आवेदक या किसी प्रधान आयुक्त या किसी आयुक्त या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को जारी करे।

12. सूचनाओं आदि की तामील का ढंग – (1) ऐसी प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज, जो प्राधिकरण के आदेशों की अनुपालना में किसी व्यक्ति पर तामील किए जाने या परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित है, इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में तामील या परिदत्त किए जाएंगे।

(2) सूचना या दस्तावेज की तामील व्यक्तिगत रूप से परिदत्त करके या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा या कूरियर सेवा द्वारा या दस्तावेजों जिसके अन्तर्गत ई-मेल या फैक्स भी है, के पारेषण के किसी अन्य साधनों द्वारा की जाएगी।

(3) आवेदन या अर्जी के पक्षकारों पर तामील की जाने के लिए अपेक्षित सूचनाएं या दस्तावेज यदि आवेदन या अर्जी उपदर्शित पते पर और प्रधान आयुक्त या आयुक्त की दशा में सम्बंधित प्रधान आयुक्त या आयुक्त के कार्यालय में परिदत्त किए जाते हैं तो तामील किया जाना समझा जाएगा।

13. बोर्ड द्वारा आयुक्त का पदामिहित किया जाना - जहां किसी आवेदन में आवेदक द्वारा कोई प्रधान आयुक्त या आयुक्त विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है वहां आवेदन की एक प्रति और उसके संलग्नक प्राधिकरण द्वारा बोर्ड को अग्रेषित की जाएगी, जिसमें उक्त आवेदन के प्रयोजनों के लिए ऐसी प्राप्त प्रति की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर कोई प्रधान आयुक्त या आयुक्त पदामिहित करने के लिए उससे मांग की जाएगी, जिसके न हो सकने पर आवेदन पर प्रधान आयुक्त या आयुक्त की अनुपस्थिति में आगे कार्यवाही की जाएगी।

14. अर्जी के रूप में अतिरिक्त तथ्य - (1) प्राधिकरण अपने विवेक से या तो *स्वप्रेरणा से* या आवेदन के किसी पक्षकार द्वारा इस प्रभाव के लिए की गई किसी अर्जी पर आवेदक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त से उसके अग्रिम विनिर्णय सुनाने के लिए उसे समर्थ बनाने के लिए ऐसे अतिरिक्त तथ्य जो आवश्यक हो को अनुज्ञात कर सकेगा या अपेक्षा कर सकेगा।

(2) अर्जीदार द्वारा रिकार्ड पर लाए जाने के लिए चाहे गए अतिरिक्त तथ्य, सम्यक् रूप से सत्यापित आवश्यक दस्तावेजों, यदि कोई हो, द्वारा समर्थित होंगे।

15. ऐसे प्रश्न जो आवेदन में विनिर्दिष्ट नहीं है - (1) आवेदक, प्राधिकरण की इजाजत के बिना आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न से भिन्न किसी प्रश्न के संबंध में प्रार्थना नहीं करेगा या उसकी सुनवाई नहीं होगी, किंतु आवेदन में उपवर्णित प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय के सुनाए जाने में प्राधिकरण अपने विवेक से ऐसे अन्य पहलुओं पर विचार करेगा जो आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय के सुनाने के लिए आवश्यक हो।

(2) आवेदक द्वारा दी गई अर्जी पर प्राधिकरण समुचित मामलों में किसी प्रश्न का संशोधन अनुज्ञात कर सकेगा।

16. प्राधिकार का फाइल किया जाना। - (1) आवेदक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के लिए उपसंजात होने वाला प्राधिकृत प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, सुनवाई के प्रारंभ होने के पूर्व सचिव के समक्ष एक दस्तावेज फाइल करेगा जिसमें उक्त आवेदक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त की ओर से उपसंजात होने के लिए उसे प्राधिकृत किया गया हो।

(2) उपसंजात होने वाला ऐसा प्रत्येक प्राधिकृत प्रतिनिधि सुनवाई के प्रारंभ के पूर्व अपने कार्यालय का पता सचिव को अधिसूचित करेगा।

(3) प्राधिकृत प्रतिनिधि के किसी परिवर्तन को सचिव तथा आवेदन के अन्य पक्षकार को सम्बद्ध पक्षकार द्वारा संसूचित किया जाएगा।

(4) आवेदक या संबद्ध प्रधान आयुक्त या आयुक्त या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि से भिन्न किसी व्यक्ति को स्वयं प्राधिकरण की विशेष इजाजत के सिवाय नहीं सुना जाएगा।

17. आवेदक की मृत्यु, आदि के पश्चात् कार्यवाही का जारी रहना। - जहां आवेदक जो एक व्यक्ति है, की मृत्यु हो जाती है, या जो एक कंपनी या व्यक्तियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं उसका परिसमापन या विघटन अथवा विभाजन या समामेलन हो जाता है या किसी अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकार में आ जाती है अथवा अन्यथा समाप्त हो जाती है तो आवेदन का उपशमन नहीं होगा और जहां प्राधिकरण यह समझता है कि परिस्थितियां इसे न्यायोचित ठहराती हैं वहां इस निमित्त आवेदन करने पर कार्यवाहियों को आवेदक के, यथास्थिति, निष्पादक, प्रशासक, परिसमापक, रिसीवर या समनुदेशिती या अन्य विधिक प्रतिनिधि द्वारा जारी रखा जा सकेगा।

18. आवेदन की सुनवाई। (1) प्राधिकरण नियत तारीख को या किसी अन्य दिन को जिसको मामला स्थगित किया जाता है ऐसे मामलों में आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की सुनवाई करेगा जिसमें आवेदन को नामंजूर करने का प्रस्ताव है या आवेदक भी सुने जाने का अवसर चाहता है; प्राधिकरण प्रधान आयुक्त या आयुक्त या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की भी सुनवाई कर सकता है यदि वह अपना अग्रिम विनिर्णय सुनाने के पूर्व यह आवश्यक समझता है।

(2) समुचित मामले में प्राधिकरण, किसी व्यक्ति से अभिसाक्ष्य देने या ऐसी सामग्री या दस्तावेज प्रदाय करने की आपेक्षा कर सकेगा जिसे वह विनिश्चय करने के लिए आवश्यक समझे।

(3) प्राधिकरण किसी समुचित मामले में जहां विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न उद्भुत होता है, वहां महान्यायवादी और महासालिसिटर सहित केन्द्रीय सरकार के विधि अधिकारी को इस सम्बंध में मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार इस मामले में प्राधिकरण को अपना परामर्श प्रस्तुत करने के लिए इस मामले को संदर्भित करता है।

(4) प्राधिकरण ऐसी शर्तो पर जो मामले की परिस्थितियों के लिए अपेक्षित हों आवेदन की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा।

19. आवेदन की एक पक्षीय सुनवाई - जहां नियत तारीख को या किसी अन्य दिन को जिसको मामला स्थगित किया जाता है आवेदक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर भी स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपसंजात नहीं होता है वहां प्राधिकरण आवेदन को गुणागुण के आधार पर एक पक्षीय रूप में निपटा सकेगा;

परंतु यह कि जहाँ आवेदन इस नियम के अधीन निपटाया गया है और यथास्थिति, आवेदक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त आदेश या अग्रिम विनिर्णय की प्रति की प्राप्ति के सात दिन के भीतर आवेदन करता है और प्राधिकरण को यह समाधान हो जाता है कि जब आवेदन की सुनवाई के लिए उसे बुलाया गया था तब उपसंजात न होने के लिए पर्याप्त कारण था तो प्राधिकरण विपक्ष को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देकर *एकपक्षीय* आदेश या अग्रिम विनिर्णय को अपास्त करने का आदेश दे सकेगा और आवेदन को नए सिरे से सुनवाई के लिए पुनः स्थापित कर सकेगा।

20. आवेदन का वापस लिया जाना। - आवेदक ऐसे आवेदन की तारीख से दो सप्ताह के भीतर और उसके पश्चात् केवल प्राधिकरण की इजाजत से अपने आवेदन को वापस ले सकेगा।

21. आदेश या अग्रिम विनिर्णय का संशोधन। - प्राधिकरण *स्वप्रेरणा से* या आवेदक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अर्जी दिए जाने पर किंतु अग्रिम विनिर्णय के सुनाने से पूर्व या अग्रिम विनिर्णय को प्रभावी किए जाने से पूर्व, यह समाधान हो जाने पर कि आदेश या अग्रिम विनिर्णय विधि या तथ्य की भूल से सुनाया गया था, आवेदक और प्रधान आयुक्त या आयुक्त को सुनवाई का उचित अवसर अनुज्ञात करने के पश्चात् ऐसे आदेश या अग्रिम विनिर्णय को इस प्रकार उपांतरित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

22. भूलों की परिशुद्धि। - (1) प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी भूल की परिशुद्धि के लिए उसके द्वारा सुनाए गए किसी अग्रिम विनिर्णय का, ऐसे विनिर्णय को प्रभावी किए जाने से पूर्व संशोधन कर सकेगा।

(2) ऐसा संशोधन *स्वप्रेरणा से* किया जा सकेगा या तब किया जा सकेगा जब आवेदक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा मूल प्राधिकरण की जानकारी में लाई जाती है किंतु ऐसे केवल आवेदक और प्रधान आयुक्त या आयुक्त को सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात् ही किया जाएगा।

23. अभिलेखों का संशोधन - यदि कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर प्राधिकरण की जानकारी में यह लाया जाता है कि अभिलेखों में कोई तथ्य संबंधी या तात्विक गलती है तो प्राधिकरण आवेदक और प्रधान आयुक्त या आयुक्त या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने के पश्चात् अभिलेखों का संशोधन अनुज्ञात कर सकेगा।

24. प्रमाणित प्रतियां का प्रदान किया जाना। - सचिव, आवेदक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, लिखित अनुरोध पर दस्तावेजों, आदेशों या अग्रिम विनिर्णयों की प्रमाणित मंजूर कर सकेगा।

25. अभिलेखों का निरीक्षण। - (1) आवेदक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि केवल उन दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जिनका प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में आश्रय लिया गया है, सचिव को लिखित अनुरोध करने पर आवेदन या अर्जी के अभिलेखों के निरीक्षण के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) निरीक्षण केवल प्राधिकरण के किसी अधिकारी की उपस्थिति में ही अनुज्ञात किया जाएगा और निरीक्षण के नोट बनाने की अनुमति होगी, किंतु किसी दस्तावेज की प्रतियां लेने की अनुमति नहीं होगी।

26. कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय को शून्य घोषित किया जाना। - (1)जहां सम्बद्ध प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा या अन्यथा किए गए अभ्यावेदन पर प्राधिकरण की जानकारी में यह लाया जाता है कि उसके द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय आवेदक द्वारा कपट या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन से प्राप्त किया गया है वहां मामले की प्राधिकरण द्वारा परीक्षा की जाएगी और कोई भी अभ्यावेदन सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित शपथ पत्र द्वारा समर्थित होगा और जिसके साथ निर्भर किए जाने वाले दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियां लगी होंगी।

(2) यदि अभ्यावेदन की परीक्षा करने के पश्चात् प्राधिकरण का प्रथम दृष्टया यह विचार है कि अग्रिम विनिर्णय आवेदक द्वारा कपट या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन से प्राप्त किया गया प्रतीत होता है, आवेदक को यह स्पष्ट करने के लिए सूचना दी जाएगी कि, धारा 28ट की उपराध (1) के अधीन विनिर्णय को आरम्भ से शून्य घोषित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(3) उप-विनियम (2) में संदर्भित नोटिस आवेदक को लिखित रूप में होगा -

(क) जिसमें उसे उन आधारों को सूचित किया जाएगा जिन पर अग्रिम विनिर्णय के *आरंभ से* शून्य घोषित करने की प्रस्थापना की जाती है;

(ख) जिसमें उन दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रतियां संलग्न की जाएगी जिन पर निर्भर किया गया है;

(ग) जिसमें ऐसे युक्ति समय के भीतर जो अग्रिम विनिर्णय को *आरंभ से* शून्य घोषित करने के लिए आधारों के विरूद्ध सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, लिखित रूप में अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएग; और

(घ) जिसमें मामले में स्वयं या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने का उचित अवसर दिया जाएगा।

(4) संलग्नकों के साथ सूचना की प्रति टीका-टिप्पणियों, यदि कोई हो, के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त को भी अग्रेषित की जाएगी और कोई आदेश पारित करने के पूर्व प्रधान आयुक्त या आयुक्त या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने के लिए भी अनुज्ञात किया जाएगा।

(5) जहां प्राधिकरण या निष्कर्ष निकलता है कि अग्रिम विनिर्णय आवेदक द्वारा कपट या तथ्यों को दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया था वहां उसे *आरंभ से* शून्य घोषित कर दिया जाएगा।

27. आदेशों/अग्रिम विनिर्णयों का प्रकाशन - प्राधिकरण के ऐसे आदेशों या अग्रिम विनिर्णयों को, जिन्हें प्राधिकरण किसी प्रामाणिक रिपोर्ट या प्रेस में प्रकाशन के लिए उचित समझता है, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन्हें प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, ऐसे प्रकाशन के लिए जारी किया जाएगा।

28. आदेशों या अग्रिम विनिर्णयों का अधिप्रमाणन और उनकी संसूचना - (1) प्राधिकरण का प्रत्येक आदेश या अग्रिम विनिर्णय, आदेश या अग्रिम विनिर्णय सुनाने वाले प्राधिकरण के प्राधिकरण और सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा और उस पर प्राधिकरण की शासकीय मुद्रा लगी होगी।

(2) प्राधिकरण के प्रत्येक आदेश या अग्रिम विनिर्णय की एक अनुप्रमाणित प्रति, आवेदक और प्रधान आयुक्त या आयुक्त को सचिव या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षरों से संसूचित की जाएगी और उस पर प्राधिकरण की शासकीय मुद्रा लगी होगी।

29. प्राधिकरण की कार्यवाहियां - जब प्राधिकरण अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं अथवा कोई रिक्ति होने की दशा में बोर्ड कहीं ओर स्थित किसी प्राधिकरण को उक्त प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट कर सकता है।

30. अर्जी के मामले में प्रक्रिया - किसी आवेदन की सुनवाई और निपटान के लिए इन विनियमों में अन्तर्विष्ट उपबंध प्राधिकरण के समक्ष सभी अर्जियों की सुनवाई और निपटान पर *यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित* लागू होंगे।

31. अंतरित आवेदन और कार्यवाही के मामले में प्रक्रिया – किसी आवेदन की सुनवाई और उसके निपटान के लिए इन विनियमों में समाहित उपबंध *यथोचित परिवर्तन सहित* धारा 28च की उप-धारा 3 में संदर्भित सभी अंतरित आवेदनों और कार्यवाहियों की सुनवाई और निपटान पर लागू होंगे।

32. पोशाक के विनियम - (1) प्राधिकरण के समक्ष कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि ऐसी पोशाक में उपस्थित होगा, जो सक्षम वृत्तिक निकाय, यदि कोई हो, द्वारा उसकी वृत्ति के लिए सदस्यों के लिए विहित हो।

(2) प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले सभी अन्य व्यक्ति समुचित पोशाकों में होंगे।

33. आयुधों, मोबाईल फोन आदि का प्रतिषेध - कोई व्यक्ति, उस कक्ष में जहां प्राधिकरण कार्यवाही संचालित करता है, मोबाईल फोन, लाठी, आयुध या अन्य शस्त्र लाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।